



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1942 (श10)

(सं० पटना 915) पटना बुधवार 25 नवम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 नवम्बर 2020

एस० ओ० 189 दिनांक 25 नवम्बर 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिश पर, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 2020 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 30 सितम्बर, 2020 की तारीख से प्रवृत्त हुये माने जायेंगे।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 46 में, खंड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(द) नियम 48 के उप नियम (4) के अधीन विहित रीति में बीजक जारी किए जाने के मामले में, इसमें बीजक सन्दर्भ संख्या (आई.आर. एन.) सन्निहित करनेवाला त्वरित प्रत्युत्तर कोडा।”

3. उक्त नियमावली के नियम 48 के खंड (4) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इस उप नियम के अधीन बीजक जारी करने से किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट दे सकेगा।”

4. उक्त नियमावली के नियम 138क में, उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) नियम 48 के उप नियम (4) के अधीन विहित रीति में बीजक जारी किए जाने के मामले में, बीजक निर्देश संख्या (आई.आर. एन.) सन्निहित करनेवाले त्वरित प्रत्युत्तर कोड को ऐसे कर बीजक की भौतिक प्रति के बदले उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा।”

(संसं बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-11) 2127)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

25 नवम्बर 2020

एस० ओ० 189, दिनांक 25 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(संसं बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-11) 2127)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 25th November 2020

S.O. 189, Dated 25th November 2020— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force with effect from 30th day of September, 2020.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 46, after clause (q), the following clause shall be inserted, namely:-

“(r) Quick Response code, having embedded Invoice Reference Number (IRN) in it, in case invoice has been issued in the manner prescribed under sub-rule (4) of rule 48.”.

3. In the said rules, in rule 48, in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt a person or a class of registered persons from issuance of invoice under this sub-rule for a specified period, subject to such conditions and restrictions as may be specified in the said notification.”.

4. In the said rules, in rule 138A, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) In case, invoice is issued in the manner prescribed under sub-rule (4) of rule 48, the Quick Response (QR) code having an embedded Invoice Reference Number (IRN) in it, may be produced electronically, for verification by the proper officer in lieu of the physical copy of such tax invoice.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-11) 2127)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 915-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>